



**THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY**

18 AASHADH 1947 (S)

No. 330

RANCHI WEDNESDAY 9th JULY, 2025

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

9th July, 2025

Notification No.- 21/2024 – State Tax

S.O. No. 20, Dated 9th July, 2025:- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 128A of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (the said Act), the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Council, hereby notifies the respective date specified in Column (3) of the Table below, as the date upto which payment for the tax payable as per the notice, or statement, or the order referred to in clause (a) or clause (b) or clause (c) of the said section, as the case may be, can be made by the class of registered person specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, namely:-

Table

Sl. No.	Class of registered person	Date upto which payment for the tax payable as per the notice or statement or the order referred to in clause (a) or clause (b) or clause (c) of section 128A of the said Act, as the case may be, can be made for waiver of interest, or penalty, or both, under the said section.
(1)	(2)	(3)
1	Registered persons to whom a notice or statement or order, referred to in clause (a) or clause (b) or clause (c) of section 128A of the said Act, has been issued.	31.03.2025

2	Registered persons to whom a notice has been issued under sub-section (1) of section 74, in respect of the period referred to in sub-section (1) of section 128A of the said Act, and an order is passed or required to be passed by the proper officer in pursuance of the direction of the Appellate Authority, or Appellate Tribunal, or a court, in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 75, for determination of the tax payable by such person, deeming as if the notice were issued under sub-section (1) of section 73 of the said Act.	Date ending on completion of six months from the date of issuance of the order by the proper officer redetermining tax under section 73 of the said Act.
---	---	--

2. This notification shall be deemed to be effective from the 1st day of November, 2024.

[File. No. Va.Kar/GST/01/2020]
By the order of the Governor of Jharkhand,

Ameet Kumar,
Commissioner,
Commercial taxes Department

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना सं०.21/2024- राज्य कर

एस. ओ. सं. 20, दिनांक 9 जुलाई, 2025 - झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (उक्त अधिनियम) की धारा 128क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट संबंधित तारीख को वह तारीख अधिसूचित करती है, जिस तक उक्त धारा के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट सूचना या कथन या आदेश के अनुसार देय कर का भुगतान, यथास्थिति, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के वर्ग द्वारा किया जा सकता है, अर्थात:-

सारणी

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का वर्ग	वह तारीख, जिस तक उक्त अधिनियम की धारा 128क के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट सूचना या कथन या आदेश के अनुसार देय कर का भुगतान, यथास्थिति, उक्त धारा के अधीन ब्याज या शास्ति या दोनों की छूट के लिए किया जा सकता है।
(1)	(2)	(3)
1	ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 128क के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट सूचना या कथन या आदेश जारी किया गया है।	31.03.2025

2	ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 128क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अवधि के संबंध में धारा 74 की उपधारा (1) के अधीन सूचना जारी की गई है और धारा 75 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार अपील प्राधिकरण या अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के निर्देश के अनुसरण में उचित अधिकारी द्वारा ऐसे व्यक्ति द्वारा देय कर के निर्धारण के लिए आदेश पारित किया गया है या पारित किया जाना अपेक्षित होता है, यह मानते हुए कि सूचना उक्त अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई थी।	उक्त अधिनियम की धारा 73के अधीन कर का पुनर्निर्धारण करने वाले समुचित अधिकारी द्वारा आदेश जारी करने की तारीख से छह माह पूरे होने पर समाप्त होने वाली तारीख ।
---	---	--

2. यह अधिसूचना 1 नवंबर , 2024 से लागू मानी जाएगी ।

[सं.सं.वा0कर/जी0एस0टी0/01/2020]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

अमीत कुमार,
आयुक्त,
वाणिज्य-कर विभाग।
